न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	- 10/2018 आर्म्स अपील (GCMS/2018/00160)
पंजीयन दिनांक	- 23.10.2018
निर्णय दिनांक	- 29.11.2021

1. **अनुज्ञापन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **श्री जयेन्द्र प्रभात शर्मा पुत्र श्री शैलेन्द्र प्रभात शर्मा, निवासी लीमथान, तहसील व जिला बांसवाड़ा।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एस.पी. गोस्वामी - अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के आदेश दिनांक 28.12.2016 एवं 07.02.2017

निर्णय

दिनांक 29.11.2021

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के आदेश दिनांक 28.12.2016 एवं 07.02.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- प्रत्यर्थी श्री जयेन्द्र प्रभात शर्मा द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 आयुध अधिनियम 1959 मय संलग्नक जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा समक्ष पेश किया। जिस पर कार्यवाहक जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश दिनांक 28.12.2016 एवं 07.02.2017 से अनुज्ञा पत्र दिनांक 01/2017 प्रत्यर्थी श्री जयेन्द्र प्रभात शर्मा के नाम जारी किया।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्याालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की। यह अपील दिनांक 23.10.2018 को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर से अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट राजकीय पेरोकार ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एवं अनुज्ञापन अधिकारी, बांसवाड़ा श्रीमती अनुपमा जोरवाल दिनांक 09.11.2016 से 04.2.2017 तक कलेक्ट्रेट, बांसवाड़ा में पदस्थापित रही और दिनांक 21.12.2016 से 08.02.2017 तक अवकाश पर रही और अवकाश पर जाने से पहले उन्होनें दैनन्दिन कार्य हेतु दिनांक 20.12.2016 को तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा श्री परशुराम धानका को अतिरिक्त चार्ज बतौर कार्यवाहक जिला कलक्टर दिया गया। प्रत्यर्थी के नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पर तत्कालीन कार्यवाहक जिला कलक्टर श्री परशुराम धानका द्वारा कार्यालय प्रोसेडिंग के पेरा 31/एन के अनुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 66/1992 वृद्ध अनुज्ञा पत्रधारी श्री महेन्द्रपाल शर्मा के अधिकार पत्र, राशन कार्ड के आधार पर उनके पौत्र श्री जयेन्द्र प्रभात शर्मा के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु पैरा न. 32 के अनुसार एच प्रोपोजड कर स्वीकृति दिनांक 28.12.2016 अनाधिकृत रूप से जारी की। तत्कालीन कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट श्री परशुराम धानका को जिला कलक्टर का कार्यभार न तो कार्मिक विभाग द्वारा आज्ञा जारी कर और न ही केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 43(ख) एवं उपधारा 2 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया था। कार्यवाहक अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी किये गये, तथ्य की चरण क्र.स. 10 में अंकित प्रोसेडिंग आदेश एवं शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2017 दिनांक 07.02.2017 प्रारम्भिक अवस्था में ही शून्य होकर निरस्तनीय है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध मे गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र-1(13)गृह-9/2009 जयपुर दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के तहत आग्नेय शस्त्रों के अलावा हथियार क्रय करने हेतु, समस्त राज्य/जिले हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने की शक्तियां अनुज्ञापन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में निहित है, न कि कार्यवाहक अधीनस्थ अधिकारी के। ऐसे विधि विरूद्ध आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। अतः अपील उक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपनी लिखित बहस/जवाब प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी के पिता श्री महेन्द्र प्रताप की उम्र 74 वर्ष से अधिक हाने से उनके नाम जारी लाईसेंस नम्बर 66/1992 को उनके पुत्र प्रत्यर्थी के नाम ट्रांसफर करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया और आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सभी सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। सभी सम्बन्धित विभागों सीआईडी, पुलिस, तहसीलदार एवं वन विभाग से अपीलार्थी के पक्ष में रिपोर्ट प्राप्त हुई और प्राप्त जांच रिपोर्ट/साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश पारित किया। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने बाबत आप न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की क्योंकि अनुज्ञा पत्र जारी करते समय जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा अवकाश पर थे और कार्यवाहक जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को अनुज्ञा पत्र जारी करने की शक्तियां प्राप्त नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा जो अपील में

जो कथन किये है, वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किये, कोई प्रतिकुल रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुज्ञा पत्र जारी किया गया और उसके अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा आर्म्स क्रय किया जा चुका है। जो भी सक्षमता के बिन्दु पर कथित त्रुटी का कथन किया गया, वह कथित त्रुटी अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर हुई, इसमें प्रत्यर्थी की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कथित गलती हेतु प्रत्यर्थी को दण्डित किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा में सीसा सिक्युरिटी सर्विस के तह सुरक्षा गार्ड के पद पर अस्थाई नौकरी कर रहा है, उक्त लाईसेंस के सम्बन्धित 12 बोर बन्दुक के सहारे प्रत्यर्थी की नौकरी मिली और जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। अपीलार्थी के पक्ष में सभी रिपोर्ट सकारात्मक होने से एवं नियमानुसार पात्र होने से ही उसे अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। साथ ही अपील मयाद बाधित है, जो इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी के पिता श्री महेन्द्र प्रताप की उम्र 74 वर्ष से अधिक हाने से उनके नाम जारी लाईसेंस नम्बर 66/1992 को उनके पुत्र प्रत्यर्थी के नाम ट्रांसफर करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत आवेदन मय समस्त आवश्यक दस्तावेजात/शपथ पत्र के पेश किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा द्वारा सभी विभागों से आवश्यक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त प्रकरण सीआईडी विभाग, उदयपुर/जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा, उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा एवं संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय टिप्पणी के अंकन अनुसार प्रस्तुत चैकलिस्ट एवं प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु कोई प्रतिकुल रिपोर्ट नहीं होने से प्रत्यर्थी से अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु अग्रिम औपचारिकतायें पूर्ण करवाई गई और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराये जाने उपरान्त प्रत्यर्थी के नाम अपीलाधीन अनुज्ञा पत्र जारी करने के आदेश पारित किये गये। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सक्षम अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की पात्रता पूर्ण होने से अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना अपेक्षित था परन्तु यहा मुख्य प्रश्न अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने वाले तत्कालीन अनुज्ञापन अधिकारी की सक्षमता का है। यहा उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा दिनांक 21.12.2016 से दिनांक 08.02.2017 तक अवकाश पर रहे और उक्त अवकाश काल में तत्कालीन जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 20.12.2016 को कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा का सामान्य अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन श्री परशुराम धानका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा को करने हेतु आदेश जारी किया। तत्कालिक कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट को जिला कलक्टर का कार्यभार न तो कार्मिक विभाग की आज्ञा जारी

कर और न ही केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 43(ख) एवं उपधारा 2 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया था। शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के तहत आग्नेय शस्त्रों के अलावा हथियार क्रय करने हेतु समस्त राज्य/जिला हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने की शक्तियां अनुज्ञापन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में निहित है, न कि किसी कार्यवाहक अधीनस्थ अधिकारी को। यह स्पष्ट है कि कार्यवाहक जिला कलक्टर, बांसवाड़ा को सामान्य अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया था, परन्तु कार्यवाहक अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, ऐसे में कार्यवाहक जिला कलक्टर, बांसवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है और ऐसे विधि विरूद्ध आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त किया जाता है। सक्षम अनुज्ञापन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विभिन्न विभागों से प्राप्त जांच रिपोर्ट इत्यादि के नियमानुसार परिक्षण व विश्लेषण उपरान्त 30 दिवस में नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर